(लोक सभा द्वारा 17.9.2020 को पारित रूप में)

2020 का विधेयक संख्यांक 113-सी

[बिल (प्रोमोशन एंड फेसीलेशन) दि फारमर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कामर्स, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक (संवर्धन और सरलीकरण), 2020

ऐसी ,जहां कृषक और व्यापारी ,ऐसे पारिस्थितिक तंत्र के सृजन का वहां उपभोग करते स्वतंत्रता का चयन की विक्रय और क्रय संबंधी ,के कृषक उपज लाभकारी व्यापारिक चैनलों के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक जो ,हैं के बाजारों ;का उपबंध करने के लिए ,है को सुकर बनाता कीमतों बाजार संबंधी विभिन्न राज्य कृषि उपज या परिसर भौतिक समझे गए बाजारों के अधिसूचित अधीन विधानों के पारदर्शी और निर्बाध ,कृषक उपज का दक्ष बाहर और अंत:राज्यिक व्यापार और अंतराज्यिक इलैक्ट्रानिक ;के लिए संवर्धन के वाणिज्य व्यापार के लिए सुसाध्य ढ़ांचे का और उससे संबंधित या उसके का आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने विधेयक

यह भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कृषक उपज व्यापार और अधिनियम (संवर्धन और सरलीकरण) वाणिज्य, 2020 है ।

(2) यह 5 जून, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषाएं ।

2. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,इस अधिनियम में,—

(से कृषक "इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म" (क किसी इलैक्ट्रानिक युक्तियों और इंटरनेट प्रयोग के नेटवर्क के ,उपज का माध्यम से व्यापार और वाणिज्य के संचालन हेतु प्रत्यक्ष और आनलाइन क्रय और विक्रय को सुकर बनाने के लिए स्थापित ऐसा प्लेटफार्म जहां प्रत्येक ऐसे संव्यवहार का परिणाम कृषक उपज का ,अभिप्रेत है वास्तविक परिदान होता है ;

(से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं या भाड़े के "कृषक" (ख श्रमिक द्वारा या अन्यथा कृषक उपज के उत्पादन में लगा हुआ है और कृषक निर्माता संगठन भी है ,इसके अंतर्गत निर्माता ;

(से निम्नलिखित अभिप्रेत है "कृषक उपज" (ग,—

(i) ,खाद्य तिलहन ,दालें ,चावल या अन्य मोटा अनाज ,गेहूं ,सूअर ,गन्ना और कुक्कुट ,मसाले ,मेवा ,फल ,सागभाजी ,तेल मत्स्य और डेरी उत्पाद सहित ऐसे खाद्य पदार्थ जो अपनी ,बकरी नैसर्गिक या प्रसंस्कृत रूप में मानव उपभोग के लिए आशयित है ;

(ii) और ; सांद्रों सहित पशु चारा खली और अन्य

(iii) चाहे उसकी ओटाई की गई है या ,कच्ची कपास बिनौला और कच्चा पटसन ,है ओटाई नहीं की गई ;

(कृषकों का कोई ऐसा सगंम या ,से "कृषक उत्पादक संगठन" (घ जो ,चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो ,समूह अभिप्रेत है—

(i) ; तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम या कार्यक्रम के अधीन संवर्धित है;

(से कृषक उपज के क्रय या विक्रय की "अंतरराज्यिक व्यापार" (ङ ऐसी अन्य राज्य के कृषक ,कार्रवाई अभिप्रेत है जिसमें एक राज्य का व्यापारी या किसी व्यापारी से कृषक उपज का क्रय करते हैं और ऐसी कृषक उपज का परिवहन उस राज्य से जहां से व्यापारी ने ऐसी कृषक उपज खरीदी है या जहां भिन्न राज्य में किया जाता है ,से ऐसी कृषक उपज उत्पन्न होती है ;

(से कृषक उपज के क्रय या विक्रय की "अंतःराज्यिक व्यापार" (च उसी राज्य के ,जिसमें एक राज्य का व्यापारी ,ऐसी कार्रवाई अभिप्रेत है जहां से ,कृषक उपज का क्रय करता है ,किसी कृषक या व्यापारी से व्यापारी ने ऐसी कृषक उपज खरीदी है या जहां ऐसी कृषक उपज उत्पन्न होती है ;

(से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा "अधिसूचना" (छ राजपत्र में प्रकाशित की गई कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और तद्नुसार पद का वही अर्थ लगाया जाएगा "अधिसूचित" ;

(के अंतर्गत निम्नलिखित है "व्यक्ति" (ज—

(कोई व्यष्टि (क;

(कोई भागीदारी फर्म (ख;

(कोई कंपनी (ग;

(कोई सीमित दायित्व भागीदारी (घ;

(कोई सहकारी सोसाइटी (ङ;

(या ; कोई सोसाइटी (च

(ऐसा कोई संगम या व्यक्ति निकाय जो केन्द्रीय सरकार (छ या राज्य सरकार के किसी चालू कार्यक्रम के अधीन सम्यक् रूप से एक समूह के रूप में निगमित या मान्यताप्राप्त है ;

(से इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा "विहित" (झ बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(से विनियमन के लिए किसी राज्य "अनुसूचित कृषक उपज" (ञ कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट कोई कृषि उपज अभिप्रेत है ;

(के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र भी है "राज्य" (ट ;

(से भारत में "राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम" (ठ प्रवृत्त कोई ऐसा राज्य चाहे ,राज्यक्षेत्र का विधान विधान या संघ जो उस राज्य में की कृषि उपज को ,अभिप्रेत है ,किसी भी नाम से ज्ञात हो विनियमित करता हैं;

(से "व्यापार क्षेत्र" (ड—

(फार्म गेट (क;

(कारखाना परिसर (ख;

(भांडागार (ग;

(खत्ती (घ;

(शीतागार (ङ;

(कोई अन्य ढांचा या स्थान (च,

संग्रहण और संकलन का ,उत्पादन ,सहित कोई ऐसा क्षेत्र या अवस्थान अभिप्रेत है जहां से भारत के राज्यक्षेत्र में कृषक उपज का ऐसा स्थान भारत के राज्यक्षेत्र में व्यापार किया जा सकेगा किन्तु इसके अन्तर्गत—

(i) भारत में प्रवृत्त प्रत्येक कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम के अधीन गठित बाजार समितियों द्वारा व्यवस्थित और यार्ड-बाजार यार्ड और बाजार उप-उप ,संचालित मुख्य बाजार यार्ड और ;की भौतिक सीमाओं

(ii) अनुज्ञप्तियां धारण करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष ,प्राइवेट बाजार उप यार्डों ,व्यवस्थित प्राइवेट बाजार यार्डों विपणन संग्रहण केन्द्रों और प्राइवेट कृषक उपभोक्ता बाजार यार्डों भारत में प्रवृत्त प्रत्येक ,शीतागारों ,खत्तियों ,या किन्हीं भांडागारों राज्य कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम के अधीन बाजार या से मिलकर बना ,समझे गए बाजारों के रूप में अन्य संरचनाओं अहातों और संरचनाएं सम्मिलित नहीं हैं ,कोई परिसर;

(से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अन्तरराज्यिक "व्यापारी" (ढ व्यापार ,या अंतः राज्यिक व्यापार या उन दोनों के संयोजन द्वारा ,विनिर्माण ,प्रसंस्करण ,मूल्य वर्धन ,अंत्य उपयोग ,खुदरा ,थोक व्यापार उपभोग के प्रयोजन के लिए या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए स्वयं ,निर्यात या एक या अन्य व्यक्तियों की ओर से कृषक उपज का क्रय करता है।

अध्याय 2

कृषक उपज के व्यापार और वाणिज्य का संवर्धन और सरलीकरण

किसी व्यापार क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य की स्वतन्त्रता।

3. किसी कृषक या ,इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी व्यापार ,व्यापारी या इलैक्ट्रानिक व्यापार और संव्यवहार प्लेटफार्म को व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र में कृषक उपज में अन्तरराज्यिक या अंतःराज्यिक । करने की स्वतन्त्रता होगी

अनुसूचित कृषक उपज का व्यापार और वाणिज्य।

4. (1) किसी व्यापार क्षेत्र में किसी कृषक या किसी अन्य ,कोई व्यापारी व्यापारी के साथ अनुसूचित कृषक का अन्तरराज्यिक व्यापार या अंतःराज्यिक व्यापार कर सकेगा :

कृषक निर्माता संगठनों या कृषि सहकारी सोसाइटी ,परंतु कोई व्यापारी के सिवाय किसी अनुसूचित कृषक उपज का तब तक व्यापार नहीं करेगा जब कर अधिनियम-तक ऐसे व्यापारी को आय, 1961 के अधीन स्थायी खाता संख्यांक आबंटित न किया गया हो या उसके पास कोई ऐसा अन्य दस्तावेज जो । न हो ,केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए

1961 का 43

(2) यदि उसकी यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना ,केन्द्रीय सरकार आवश्यक और समीचीन है किसी व्यापार क्षेत्र में किसी व्यापारी के इलैक्ट्रानिक व्यापार संव्यवहार की रीतियां और अनुसूचित कृषक उपज ,रजिस्ट्रेशन प्रणाली के भुगतान की पद्धति विहित कर सकेगी ।

(3) व्यापार की ,प्रत्येक व्यापारी जो कृषकों के साथ संव्यवहार करता है गई अनुसूचित कृषक उपज का भुगतान उसी दिन या यदि प्रक्रियात्मक रूप से तो इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कृषक को शोध्य भुगतान ,ऐसा अपेक्षित है अधिकतम तीन ,की रकम में वर्णित परिदान की रसीद उसी दिन दी जाएगी कार्यदिवस के भीतर भुगतान करेगा:

क्रेताओं से संदाय रसीद के साथ जुड़े हुए संबद्ध ,परंतु केन्द्रीय सरकार चाहे किसी भी नाम से ज्ञात ,कृषक उपज संगठन या कृषि सहकारी सोसाइटी द्वारा भुगतान की भिन्न भिन्न प्रक्रिया विहित कर सकेगी। ,हो

इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म।

5. (1) कर अधिनियम-आय, 1961 के अधीन आबंटित स्थायी खाता जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ,संख्यांक या ऐसा कोई अन्य दस्तावेज कोई कृषक (किसी व्यष्टि से भिन्न) रखने वाला कोई व्यक्ति ,किया जाए किसी व्यापार क्षेत्र में अनुसूचित ,निर्माता संगठन या कृषि सहकारी सोसाइटी राज्यिक या अंतःराज्यिक व्यापार को सुकर बनाने के लिए-कृषक उपज के अन्तर कोई इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म स्थापित कर सकेगा और उसका प्रचालन कर सकेगा : 1961 का 43

परन्तु इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म स्थापित और अन्य प्लेटफार्मों के साथ ,फीस ,व्यापार की रीति ,प्रचालित करने वाला व्यक्ति गुणवत्तापूर्ण ,तर्कसंगत व्यवस्थाएं ,अन्तर व्यवहार्य सहित तकनीकी पैरामीटर प्लेटफार्म के प्रचालन के स्थान की स्थानीय भाषा ,यथासमय भुगतान ,निर्धारण में मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रसारण जैसी उचित व्यापार पद्धतियों और ऐसे अन्य । विषयों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा और उनका क्रियान्वयन करेगा

(2) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना किसी व्यापार क्षेत्र में अनुसूचित ,नियमों द्वारा ,आवश्यक और समीचीन है तो वह व्यापार और वाणिज्य राज्यिक और अंतराराज्यिक-कृषक उपज के उचित अन्तर को सुकर बनाने के लिए इलैक्ट्रानिक व्यापारिक मंचों के लिए—

(रीति विनिर्दिष्ट कर ,मानदंड ,रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया (क और ;सकेगी

(अन्य प्लेटफार्म के साथ अन्तर व्यवहार्य ,आचार संहिता (ख सहित तकनीकि पैरामीटर जिसके अंतर्गत अनुसूचित कृषक उपज की विनिर्दिष्ट ,तर्कसंगत व्यवस्थायें और उनका गुणवत्तापूर्ण निर्धारण भी है । कर सकेगी

व्यापार क्षेत्रों में राज्य कृषि उपज बाजार समिति ,अधिनियम आदि के अधीन । बाजार फीस

6. किसी राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम या किसी अन्य राज्य विधि के अधीन किसी कृषक या व्यापारी या इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म से किसी व्यापार क्षेत्र में अनुसूचित कृषक उपज में व्यापार और वाणिज्य के लिए कोई बाजार फीस या उपकर या उद्ग्रहण चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

कीमत सूचना और बाजार आसूचना प्रणाली।

7. (1) ,किसी केन्द्रीय सरकार संगठन के माध्यम से ,केन्द्रीय सरकार कृषक उत्पाद के लिए कीमत सूचना और बाजार आसूचना प्रणाली और उससे सम्बंधित सूचना के प्रसारण हेतु एक रूपरेखा विकसित कर सकेगी।

(2) ,जो विहित किए जाएं ,ऐसे संव्यवहारों के संबंध में ,केन्द्रीय सरकार सूचना उपलब्ध करवाने के लिए एक इलैक्ट्रानिक व्यापारिक ,किसी व्यक्ति से और संव्यवहार प्लेटफार्म का स्वामी होने की और उसके प्रचालन की अपेक्षा कर सकेगी।

"केन्द्रीय सरकार संगठन" इस धारा के प्रयोजनों के लिए—**स्पष्टीकरण** सरकार के स्वामित्वाधीन ,पद के अन्तर्गत कोई अधीनस्थ या सहबद्ध कार्यालय या संबंधित कंपनी या सोसाइटी भी है।

अध्याय 3

विवाद समाधान

कृषकों के लिए विवाद समाधान । तंत्र

8. (1) इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन कृषक और किसी व्यापारी आवेदन ,पक्षकार ,के बीच किसी संव्यवहार से उद्भूत किसी विवाद की दशा में सुलह के मार्फत पारस्परिक प्रतिग्राह्य ,फाइल करके उपखंड मजिस्ट्रेट से विवाद के आबद्धकर ,समाधान की ईप्सा कर सकेंगे जो ऐसे विवाद को परिनिर्धारण को सुकर बनाने के लिए उसके द्वारा नियुक्त सुलह बोर्ड को निर्दिष्ट करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त प्रत्येक एक अध्यक्ष और कम से कम दो और चार से अनधिक ऐसे सदस्यों से ,सुलहबोर्ड उपखंड मजिस्ट्रेट ठीक समझे। मिलकर बनेगा जिन्हें

(3) उपखंड मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन ,अध्यक्ष सेवारत कोई अधिकारी होगा और अन्य सदस्य विवाद के पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने हेतु बराबर संख्या में नियुक्त व्यक्ति होंगे और किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति उस पक्षकार की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा :

सात दिन के भीतर ऐसी सिफारिश करने में ,परन्तु यदि कोई पक्षकार असफल रहेगा तो उपखंड मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा जिन्हें वह । उस पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए ठीक समझे

(4) सुलह कार्यवाहियों के दौरान किसी विवाद के संबंध में कोई ,जहां समाधान हो जाता है वहां तद्नुसार समाधान ज्ञापन बनाया जाएगा और वह ऐसे विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होगा जो पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

(5) यदि उपधारा (1) इस धारा के ,के अधीन संव्यवहार के पक्षकार अधीन उपवर्णित रीति में तीस दिन के भीतर विवाद का समाधान करने में असमर्थ रहते हैं तो वे संबद्ध उपखंड मजिस्ट्रेट से सम्पर्क कर सकेंगे जो ऐसे विवाद के समाधान के लिए उपखंड प्राधिकारी होगा।

(6) स्वप्रेरणा से या किसी याचिका के आधार पर या ,उपखंड प्राधिकारी किसी सरकारी अभिकरण से निर्देश के आधार पर धारा 4 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के किसी उल्लघंन का संज्ञान लेगा और उपधारा (7) के अधीन कार्रवाई करेगा।

(7) इस धारा के अधीन विवाद या उल्लंघन का ,उपखंड प्राधिकारी उसके फाइल किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर संक्षिप्त ,विनिश्चय रीति में करेगा और—

(;विवादाधीन रकम की वसूली का आदेश पारित कर सकेगा (क या

(ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो धारा (ख 11 की उपधारा (1) या ;के अधीन अनुबद्ध है

(इस अधिनियम के अधीन प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी (ग जो वह ठीक समझे अनुसूचित कृषक उपज के किसी ,अवधि के लिए और व्यापार सम्बंधी व्यापारिक कार्य को करने से विवादग्रस्त व्यापारी का आदेश पारित कर सकेगा। को अवरुद्ध करने

(8) ऐसे आदेश के ,उपखंड प्राधिकारी के आदेश से व्यक्ति को पक्षकार कलक्टर या कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट) तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा जो ऐसी अपील फाइल किए जाने (अपर कलक्टर की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

(9) इस धारा के अधीन उपखंड प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश किसी सिविल न्यायालय की डिक्री का बल रखेगी और उस रूप में राजस्व के बकाए के रूप में वसूली की-प्रवर्तनीय होगी और डिक्रीत रकम की भू जाएगी।

(10) उपखंड प्राधिकारी के समक्ष कोई याचिका या कोई आवेदन और अपील प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील फाइल करने की रीति और प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए।

इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म के प्रचालन के अधिकार का निलंबन या रद्दकरण।

9. (1) ,विपणन और निरीक्षण निदेशालय ,कृषि विपणन सलाहकार भारत सरकार या राज्य सरकार का ऐसा कोई अधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार ,द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं स्वप्रेरणा से या किसी याचिका के आधार पर या किसी सरकारी अभिकरण के रजिस्ट्रीकरण की रीति और आचार ,मानदण्डों ,प्रक्रियाओं ,निर्देश के आधार पर संहिता के किसी अंग का या धारा 5 के अधीन स्थापित इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म द्वारा उचित व्यापार पद्धतियों के मार्गदर्शक सिद्धांतों के किसी अंग का संज्ञान ले सकेगा और प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर वह ,आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं—

(कृषकों और व्यापारियों को संदेय रकम की वसूली का आदेश (क कर सकेगा पारित;

(जो धारा ,ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा (ख 11 की उपधारा (2) या ;नियत की गई है में

(इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म के रूप में (ग जो वह ठीक समझे ,के अधिकार को ऐसी अवधि के लिए प्रचालन या उसे रद्द कर सकेगा सकेगा निलम्बित कर:

शास्ति के अधिरोपण या प्रचालन के अधिकार के ,परंतु रकम की वसूली ऐसे इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और ,निलम्बन या रद्दकरण का कोई आदेश संव्यवहार प्लेटफार्म के प्रचालक को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं । किया जाएगा

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश का सिविल न्यायालय की डिक्री का बल होगा और उस रूप में प्रवर्तनीय होगा तथा डिक्रीत । राजस्व के बकाए के रूप में वसूल की जाएगी-रकम भू

प्रवर्तन के अधिकार के रद्दकरण के विरुद्ध अपील।

10. (1) धारा 9 ऐसे ,के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के ,आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति ,निर्दिष्ट ऐसे अधिकारी को -नाम अपील कर सकेगा ,से नीचे का न हो :

परन्तु कोई अपील साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् यदि किन्तु नब्बे दिन की कुल अवधि के अपश्चात् भी ग्रहण की जा सकेगी अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उक्त । अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त हेतुक था

(2) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील ऐसे प्ररुप और रीति में की जिसके विरुद्ध अपील की गई ,जाएगी और उसके साथ उस आदेश की एक प्रति । जो विहित की जाए ,है और ऐसी फीस संलग्न होगी

(3) । किसी अपील के निपटान की प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए

(4) इस धारा के अधीन फाइल की गई अपील की सुनवाई और उसका उसके फाइल किए जाने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर ,निपटान किया जाएगा :

परन्तु किसी अपील के निपटान से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर । दिया जाएगा

अध्याय 4

शास्तियां

अधिनियम और नि य मों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

11. (1) जो कोई धारा 4 या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन जो पांच हजार रुपए से कम की नहीं होगी ,वह ऐसी शास्ति के संदाय का ,करेगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी और जहां उल्लंघन जारी रहता है जिसके दौरान उल्लंघन जारी ,वहां पहले दिन के पश्चात् उस प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपए से अनधिक और शास्ति का दायी होगा। ,रहता है

(2) जो किसी इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार ,यदि कोई व्यक्ति धारा ,उसका नियंत्रण या प्रचालन करता है ,प्लेटफार्म का स्वामी है 5 और धारा 7 वह ऐसी ,या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा जो पचास हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी किन्तु जो ,शास्ति के संदाय का दस लाख रुपए तक की हो सकेगी और जहां उल्लंघन जारी रहता है वहां पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है दस हजार रुपए से अनधिक की और शास्ति का दायी होगा।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

केन्द्रीय सरकार , की अ नु दे श आदेश या ,निदेश मा र्ग द र्श क सि द्धां त जा री करने की शक्ति।

12. इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के ,केन्द्रीय सरकार दे सकेगी या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर ,आदेश ,निदेश ,लिए ऐसे अनुदेश केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी या अधिकारी या ,सकेगी जो वह किसी राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी या किसी इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म के लिए या ,अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन करता है या किसी व्यापारी या व्यापरियों के वर्ग के लिए आवश्यक समझे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के । लिए संरक्षण

13. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय ,के सम्बन्ध में कोई भी वाद सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

अ ध्या दे श का अध्यारोही प्रभाव । होना

14. किसी राज्य कृषि उपज विपणन समिति ,इस अधिनियम के उपबंध या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के कारण प्रभावी किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता । का वर्जन

15. किसी ऐसे विषय की बाबत जिसका ,किसी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उसके अधीन सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है और उसका निपटारा किया जा कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी। ,सकता है

क ति प य संव्यवहारों को अ ध्या दे श का । लागू न होना

16. (विनियमन) प्रतिभूति संविदा ,इस अध्यादेश की कोई बात अधिनियम, 1956 के और उसके अधीन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और क्लीयरिंग कारपोरेशन और उसके अधीन किए गए संव्यवहारों को लागू नहीं होगी। 1956 का 42

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने । की शक्ति

17. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित ,केन्द्रीय सरकार । अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ,नियम ,करने के लिए

(2) ऐसे ,पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अर्थात् ,नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे : —

(धारा (क 4 की उपधारा (2) के अधीन अनुसूचित कृषक उपज के किसी व्यापारी के लिए इलैक्ट्रानिक रजिस्ट्रीकरण प्रणाली और व्यापार संव्यवहार की रीतियां;

(धारा (ख 4 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन संदाय की प्रक्रिया;

(धारा (ग 8 की उपधारा 10 के के अधीन उप खंड प्राधिकारी अपील प्राधिकारी के समक्ष या आवेदन फाइल करने और याचिका समक्ष अपील फाइल करने की रीति और प्रक्रिया;

(धारा (घ 9 की उपधारा (2) के अधीन संव्यवहारों की बाबत सूचना;

(धारा (ङ 10 की उपधारा (2) के अधीन अपील फाइल करने का प्ररूप और रीति तथा संदेय फीस;

(धारा (च 10 की उपधारा (3) के अधीन किसी अपील के निपटान की प्रक्रिया;

(कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए या विहित किया (छ । जाना है

नियमों का रखा जाना।

18. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक जब ,संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष ,बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र ,नियम कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक ,वह सत्र में हो सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

19. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश ,कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो ,द्वारा और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) किए जाने के पश्चात् ,इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

2020 का अध्यादेश सं0 10

20. (1) (संवर्धन और सरलीकरण) उपज व्यापार और वाणिज्य कृषक अध्यादेश, 2020 निरसित किया जाता है ।

(2) के अधीन की गई कोई ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी ,बात या कार्रवाई जाएगी ।